

RBE No.172/2019



PCPO's Sl.No.203/2019

No. E/9(E)/O/ECR/HJP

Dated:- 17.10.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप. महाप्रबंधक/ विधि/ पटना।
9. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/ कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

विषय : Grant of Dearness Allowance to Railway employees -- Revised Rates effective from 01.07.2019


संदर्भ : Railway's Boards Lt.No.PC-VII/2016/I/7/2/1 Dated: 15.10.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना मार्गदर्शन एवं अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.


(सुरेश सायनी) 17.10.19

वकाधि/ ई.एस.एम
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/ हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनाथे, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ईसीआरकेयू/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
2. महासचिव/ एस0.सी0./ एस0.टी0./ एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
3. वकाधि (एभ.पी.पी.), पू.म.रे/ हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ ओ.बी.सी. एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

PC-VII No.- 145

RBE No : 172/2019

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1


New Delhi, dated: 15.10.2019

The General Manager/CAOs(R),
All India Railways & Production Units,
(As per mailing list)

Sub: - Grant of Dearness Allowance to Railway employees - Revised Rates effective from 01.07.2019.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's letter RBE No. 37/2019 dated 06.03.2019 (F.No. PC-VII/2016/I/7/2/1) on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of 12% to 17% of the basic pay with effect from 1st July, 2019.


2. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.
3. The Dearness Allowance will continue to be distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of Rule 1303 (FR 9(21)), Indian Railway Establishment Code, Volume -II (Sixth Edition - 1987) - Second Reprint 2005.
4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.


(Jaya Kumar G)
Deputy Director, Pay Commission-VII
Railway Board

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1

New Delhi, dated: 15.10.2019

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.


For Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 145

आरबीई सं. 172/2019

फाइल सं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1

नई दिल्ली, दिनांक: 15.10.2019

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेल एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:- रेलवे कर्मचारियों को 01.07.2019 से प्रभावी संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता प्रदान करना।


अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 06.03.2018 के पत्र आरबीई सं. 37/2019 (फाइल नं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1) का अवलोकन करने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि रेलवे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को 01 जुलाई, 2019 से मूल वेतन के 12% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 17% किया जाएगा।

2. सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का आशय पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में प्राप्त वेतन से है; परंतु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।

3. महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का विशिष्ट तत्व ही रहेगा और इसे नियम 1303 (एफआर 9(21)), भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, वॉल्यूम-II (छठा संस्करण - 1987) - दूसरा नया पुनर्मुद्रण 2005 की परिधि के भीतर वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्तों के कारण भुगतान, जिसमें 50 पैसे और इससे अधिक पैसे की राशि शामिल हो तो उसे अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किया जाए और 50 पैसे से कम की राशि पर ध्यान न दिया जाए।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।


(जिया कुमार जी)

उप निदेशक, वेतन आयोग-VII
रेलवे बोर्ड